रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

[प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 1970/आश्विन 23, 1892

No. 175] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 1970/ASVINA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN RADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th October 1970

SUBJECT .—*Consideration of hard cases by the Special Committee.*

No. 155-ITC (PN)/70.— Attention is invited to para 110 of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol.I) for the period April 70—March71 which lays down that cases of actual users in which it is established that the operation of the existing policy creates undue hardship which is likely to effect industrial development will be considered on merits by a Special Committee under the Chief Controller of Imports and Exports on the recommendation of the sponsoring authorities concerned.

2. With a view to streamline the procedure, it has been decided that the requests for consideration by the Special Committee should be made to the Chief Controller of Imports and Exports (Policy Cell) through the sponsoring authorities concerned in the proforma annexed to this Public Notice. Small scale units should make applications in triplicate while applications from other units including D.G.T.D. units should be made in duplicate.

I. O. C. 114-9

3. The applications will be scrutinised by the sponsoring authority concerned. If the sponsoring authority does not support the request, it will forward the application to the CCI&E, New Delhi recommending rejection. If the sponsoring authority supports the firm's request for consideration by the Special Committee, it will forward the application with its recommendation in Part II of the application to the CCI&E, New Delhi. In the case of small scale units, the sponsoring authority will forward one copy of the application to the Development Commissioner (SSI), New Delhi and the other copy to the CCI & E, New Delhi (Policy Cell). The Development Commissioner (SSI) will examine the application and forward the same with his recommendation to the CCI & E, New Delhi for consideration by the Special Committee. In cases where the DC (SSI) does not consider it necessary to recommend the firm's request for consideration by the Special Committee, he will inform the sponsoring authority concerned under intimation to the CCI & E, New Delhi.

(PARA 110 OF SECTION I OF RED BOOK 1970-71 VOLUME I)

PROFORMA

Information to be supplied by individual units for consideration by the Special Committee

PART—I

(To be filled by the applicant)

1. Name with full postal address of the applicant.

2. Complete address of location of factory.

3. Whether DGTD or SSI unit. (In the case of SSI unit indicate SSI Registration No.)

4. Licensing period(s) to which the application relates.

5. End-product(s) for which the imported raw materials and components are required

6. Existing import policy for the end product (s) mentioned against column 5.

7. Mention the major items of raw materials and components required for the manufacture of the end-products in question

8. Production capacity in terms of quantity/value of the unit on single shift basis for manufacture of the end-products . .

9. Actual production of such end-products for the three licensing periods immediately preceding the period for which the application is made :—

Period:	Book Value : (Rs.)	Quantity:

10. Value of import licences/release orders for imported raw materials and components received for the manufacture of such end products and imports made/deliveries obtained thereunder during three preceding periods :—

Period	Particulars of import licences/release orders.	Value (in Rs.)	Value of imports/ deliveries (in Rs.)
11. Raw materials and components obtained from indigenous sources, if any, for such end-products (Q'ty./Value) during preceding three periods :—			

Item:	Period:	Quantity :	Value (Rs.):
12. Consumption of imported raw materials and components for the end-products in question during the preceding three years period..			
13. Details of machinery and equipment installed and its value (List may be attached).			
14. Indicate the specific relaxation sought with detailed justification in support thereof.			
15. Value of exports, if any, of the end products in question during the previous financial year.			

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation in addition to any other penalty that the Govt. may impose or any other action that may be taken, having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.

.....
Signature

Name in block letters and designation :
.....
.....

PART II

(To be filled by the sponsoring authority)

1. Whether the applicant is a new or proposed or existing unit.

2. If new or proposed unit whether the industry is included in the list of banned industries.

3. End-product(s) for which recommendation is made.

4. Whether the end-product(s) falls under priority or non-priority, category, In case of priority indicate the serial number of the list of 59 Priority Industries.

5. Recommendation of the sponsoring authority with reference to the applicant's capital investment, production capacity, actual production etc.

DATE

Signature of the Recommending Authority with name and designation.

.....

.....

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1970

विषय:—"विशेष" समिति द्वारा कठिन मामलों पर विचार-विमर्श ।

सं० 155—आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—अप्रैल 1970—मार्च 1971 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक-वालुम-1) की कंडिका 110 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो यह निर्धारित करती है कि वास्तविक उपभोक्ताओं के उन मामलों में, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान नीति के परिचालन में अनावश्यक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, जिनका प्रभाव उद्योगिक विकास पर पड़ने की संभावना है उन पर पात्रता के अनुसार, संबंधित उत्तरदायी प्राधिकारियों की सिफारिश के आधार पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के अधीन विशेष समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

2. कार्यविधि को सरल और कारगर बनाने के विचार से यह निश्चय किया गया है कि विशेष समिति द्वारा विचार-विमर्श करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना में अनुबन्धित प्रपत्र में सम्बन्धित उत्तरदायी प्राधिकारियों के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, (पालिसी सैल) को भेजे जाने चाहिए । लघु पैमाने के एककों को अपने आवेदन-पत्र तीन प्रतियों में भेजने चाहिए जबकि अन्य एकक जिसमें डी० जी० टी० डी० के एकक भी शामिल हैं, उनके द्वारा आवेदन-पत्र दो प्रतियों में भेज जाने चाहिए ।

3. सम्बन्धित उत्तरदायी प्राधिकारियों द्वारा आवेदन-पत्रों का संवीक्षण किया जाएगा । यदि सम्बन्धित उत्तरदायी प्राधिकारी आवेदन का समर्थन नहीं करते तो वह आवेदन-पत्र को रद्दीगी की सिफारिश के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजेगा । यदि उत्तरदायी प्राधिकारी विशेष समिति द्वारा फर्म की प्रार्थना पर विचार करने का समर्थन करता है तो वह आवेदन पत्र के भाग 2 में अपनी सिफारिश के साथ आवेदन-पत्र को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली

को भेजेगा । लघु पमाना एककों के मामले में, उत्तरदायी प्राधिकारी आवेदन-पत्र की एक प्रति विकास आयुक्त (लघु पैमाना उद्योग) नई दिल्ली को तथा दूसरी प्रति मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली (पालिसी सैल) को भेजेगा । विकास आयुक्त (लघु पैमाना उद्योग) आवेदन-पत्र की जांच करेगा और फिर उसे अपनी सिफारिश के साथ विशेष समिति द्वारा विचार-विमर्श के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजेगा । ऐसे मामलों में, जहां उपायुक्त (लघु पमाना उद्योग) फर्म की प्रार्थना को विशेष समिति द्वारा विचार-विमर्श के लिए भेजना आवश्यक नहीं समझेगा तो वह मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को अवगत कराते हुए सम्बन्धित उत्तरदायी प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

(1970–71 की रड बुक के वालुम 1 के खंड 1 की कंडिका 110)

परिपत्र

विशेष समिति द्वारा विचार-विमर्श करने के लिए व्यक्तिगत एककों द्वारा दी जाने वाली जानकारी ।

भाग 1

1. आवेदक के नाम के साथ पूरा डाक पता ।
2. कारखाने की अवस्थिति का पूरा पता ।
3. क्या वह डी० जी० टी० डी० एकक है अथवा एस० एस० आई० ? (एस० एस० आई० एकक की स्थिति में पंजीकरण सं० का संकेत करें ।)
4. लाइसेंसिंग अवधि (यां) जिससे आवेदन-पत्र संबंधित है ।
5. अन्तिम उत्पाद (दें) जिस के लिए आयातित कच्चा माल तथा संघटकों की मांगें की जाती हैं ।
6. कालम 5 के लिए उल्लिखित अन्तिम उत्पाद (दों) के लिए वर्तमान आयात नीति ।
7. अपेक्षित उत्पाद के निर्माण के लिए कच्चे माल तथा संघटकों की जो मुख्य मदें हैं उनका उल्लेख करें ।
8. अन्तिम उत्पाद के निर्माण के लिए एक पारी के आधार पर मात्रा / मूल्य के अनुसार उत्पादन क्षमता ।
9. जिस अवधि के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है तत्काल पूर्वगत ऐसे अन्तिम उत्पाद की तीन लाइसेंसिंग अवधियों का वास्तविक उत्पादन ।

अवधि	बुक वैल्यू (रुपये)	मात्रा

10. आयात लाइसेंस का मूल्य/आयातित कच्चे माल के लिये बंटन आदेश तथा ऐसे अन्तिम उत्पाद के निर्माण के लिए प्राप्त हुए संघटक तथा किये गये आयात/पूर्वगत तीन अवधियों के दौरान उसके अन्तर्गत प्राप्त की गई दातियां ।

अवधि	आयात लाइसेंस/बंटन आदेश के ब्यौरे	मूल्य (रुपयों में)	आयात/दातियों का मूल्य (रुपयों में)

11. पूर्वगत तीन अवधियों के दौरान इस प्रकार के अन्तिम उत्पाद (मात्रा/मूल्य) के लिए देशी स्त्रोतों से यदि कोई कच्चा माल तथा संघटक प्राप्त किया गया है ।

मद	अवधि	मात्रा	मूल्य (रुपये)
12. पूर्वगत तीन अवधियों के दौरान अपेक्षित अन्तिम उत्पाद के लिए आयातित कच्चे माल तथा संघटकों की खपत ।			
13. लगाई गई मशीन तथा उपकरण का ब्यौरा तथा इसका मूल्य (सूची संलग्न की जाय)			
14. ली गई खास छूटों के समर्थन में तर्कसंगति के साथ संकेत करें ।			
15. पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित अन्तिम उत्पाद का यदि कोई निर्यात किया गया है, तो उस का मूल्य ।			

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि ऊपर जो सूचना दी गई है, जहां तक मुझे/हमें पता है और विश्वास है, सही है। मैं/हम अच्छी तरह जानते हैं कि मामले के हालात को ध्यान में रखते हुए यदि सूचना में दिए गए तत्वों में से कोई एक तत्व गलत अथवा झूठा पाया जाता है तो सरकार द्वारा अन्य किसी जुर्माने अथवा कार्यवाही करने के अतिरिक्त, उपर्युक्त सूचना के आधार पर मुझे / हमें प्रदान किया गया कोई भी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है ।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

वर्णाक्षरों में नाम तथा पदनाम

भाग 2

(उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

1. क्या आवेदक नया अथवा प्रस्तावित अथवा विद्यमान एकक का है ।

2. यदि नया अथवा प्रस्तावित एकक है तो क्या प्रतिबंधित उद्योगों की सूची में यह उद्योग शामिल है ?

3. अन्तिम उत्पाद (दों) जिस के लिए सिफारिश की जाती है ।

4. क्या अन्तिम उत्पाद (दें) प्राथमिकता अथवा अप्राथमिकता की श्रेणी के अन्तर्गत आता है ? प्राथमिकता की स्थिति में, 59 प्राथमिकता उद्योगों की सूची की क्रम सं० का संकेत करें ।

5. आवेदक की लगाई गई पूंजी, उत्पादन क्षमता, वास्तविक उत्पादन आदि के संदर्भ में उत्तरदायी प्राधिकारी की सिफारिश ।

नाम और पदनाम के साथ सिफारिशी प्राधिकारी के हस्ताक्षर ।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970